

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

20.08.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 4486 का उत्तर

सकलेशपुर-सुब्रमण्य रोड घाट पर परिचालन सम्बंधी प्रतिबंध

4486. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) ने लगभग पांच वर्ष पूर्व सकलेशपुर-सुब्रमण्य रोड घाट खंड पर परिचालन सम्बंधी कड़े प्रतिबंध लगाए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार सकलेशपुर-सुब्रमण्य रोड (एसकेएलआर-एसबीएचआर) घाट खंड के सम्बंध में सीसीआरएस मानदंडों की समीक्षा करने और उनमें ढील देने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) सकलेशपुर से सुब्रमण्य घाट खंड में अवसंरचना को मजबूत करने और संरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) परिचालन दक्षता में सुधार के लिए अरेबेटा में एक क्रॉसिंग स्टेशन हेतु विद्युतीकरण कार्य सहित क्षमता और संभावना में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): सकलेशपुर-सुब्रह्मण्य रोड (घाट) खंड को 2007 में यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया था। प्राधिकार देते समय, रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) ने डोनिगल और श्रीवागिलु स्टेशनों पर गाड़ियों के क्रॉसिंग की अनुमति दी थी, लेकिन कडगरवल्ली (केजीवीएल) और येटकुमारी (वाईडीके) पर गाड़ियों के क्रॉसिंग/पूर्ववर्तिता की अनुमति नहीं दी गई।

बहरहाल, परिचालनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, संरक्षा संबंधी विचारों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रतिबंधों के साथ 2020 में कडगरवल्ली और येदकुमारी स्टेशनों पर क्रॉसिंग/पूर्ववर्तिता की अनुमति भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई।

सकलेशपुर-सुब्रह्मण्य रोड घाट खंड का विद्युतीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है। ₹32.55 करोड़ की लागत से अरेबेटा में क्रॉसिंग स्टेशन को चालू करने के लिए भी कार्य स्वीकृत किया गया है, जिसमें ₹1.38 करोड़ की विद्युतीकरण लागत शामिल है।

सकलेशपुर-सुब्रह्मण्य रोड घाट खंड में संरक्षा बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से भूस्खलन के कारण, उत्पन्न चुनौतियों के लिए निम्नलिखित संरक्षा उपाय भी किए गए हैं:-

- 3000 मीटर लंबाई में कटाव के ढलानों को समतल करने का कार्य पूरा हो गया है।
- 210 मीटर में चट्टान गिरने से बचाव के लिए अवरोधक का प्रावधान पूरा हो गया है।
- 2450 मीटर लंबाई में बोल्डर गिरने को रोकने के लिए बोल्डर जाल का प्रावधान पूरा हो गया है और 2730 मीटर लंबाई में कार्य प्रगति पर है।
- 950 मीटर लंबाई में गेबियन दीवार का प्रावधान पूरा हो गया है और 330 मीटर लंबाई में कार्य प्रगति पर है।
- 9100 मीटर लंबाई में किनारे की नालियों में सुधार का कार्य पूरा हो गया है और 900 मीटर लंबाई में कार्य प्रगति पर है।
